INDIA NON JUDICIAL

IN-UP21051348112638W

Government of Uttar Pradesh

e-Stamp

IV 076/2024

Certificate No.	:	IN-UP21051348112638W
Certificate Issued Date	:	10-Apr-2024 01:43 PM
Account Reference	:	NEWIMPACC (SV)/ up14757304/ VARANASI SADAR/ UP-VNS
Unique Doc. Reference	:	SUBIN-UPUP14757304381859289219 91W
Purchased by	:	KAUSHAL PATI TRIPATHI
Description of Document	:	Article 64 (A) Trust - Declaration of
Property Description	:	KAUSHAL SHIKSHAK AND DHARMARTH TRUST BASODIGARH, PARGANA SHIVPUR, TEHSIL SADAR, DISTRICT VARANASI
Consideration Price (Rs.)	:	
First Party	:	KAUSHAL PATI TRIPATHI
Second Party	:	Not Applicable
Stamp Duty Paid By	:	KAUSHAL PATI TRIPATHI
Stamp Duty Amount(Rs.)	:	800 (Eight Hundred only)

E-Stamp Locked

S/d

Signature:-
ACC Name:-Arun Kumar Gaur
ACC Code:-UP14757304
ACC Add:-Navalpur, Basahi, Vns.
Mobile No:-9161769474
Licence No:- 702
Tehsil & District:-Sadar-Varanasi

Please write or type below this line

Kaushal Shichhak & Dharmarth Trust
Varanasi

RD 0021055476

Statutory Alert:

1. The authenticity of this Stamp certificate should be verified at www.shcilestamp.com or using e-Stamp Mobile App of Stock Holding. Any discrepancy in the details on this Certificate and as available on the website / Mobile App renders it invalid.
2. The onus of checking the legitimacy is on the users of the certificate.
3. In case of any discrepancy please inform the Competent Authority.

Scanned with OKEN Scanner



202400996014767

कौशल शिक्षक एवं धर्मार्थ ट्रस्ट

न्यास विलेख (Instrument of Trust)

यह न्यास विलेख आज **दिनांक 10.04.2024** को **श्री कौशल पति त्रिपाठी पुत्र मेवालाल तिवारी** स्थायी निवासी ग्राम धारूपुर, पोस्ट सैयदराजा, जिला चन्दौली, द्वारा घोषित किया गया है। पैनकार्ड नं0–**ACRPT5034E मो0नं0–9415618527**
जिन्हें आगे न्यासकर्ता/संस्थापक/मैनेजिंग डाइरेक्टर कहा जायेगा क्योंकि न्यासकर्ता संस्थापक पर रूपया **10,000/– (दस हजार रूपये)** की राशि है। जिसे कि वह पुरूषार्थ एवं सामाजिक कार्यों हेतु दान देने की इच्छा करते हैं। न्यासकर्ता/संस्थापक उक्त राशि का अप्रति सहरणीय न्यास बनाने हेतु इच्छुक है, जो कि समाज उत्थान एवं विशेष रूप से शिक्षा के उत्थान के लिए कार्य करेगा क्योंकि यह ट्रस्ट **कौशल शिक्षक एवं धर्मार्थ ट्रस्ट** के नाम से जाना जायेगा तथा कार्य करेगा, जिसे आगे संक्षिप्त में ट्रस्ट भी कहा जा सकेगा।

क्योंकि ट्रस्ट का न्यासकर्ता मैनेजिंग डायरेक्टर ट्रस्टी होगा, जिसे की आगे ट्रस्ट का अध्यक्ष/मैनेजिंग डाइरेक्टर कहा जा सकेगा। न्यासकर्ता/संस्थापक की यह भी इच्छा है कि वह विभिन्न श्रोतों से दान, उपकार, ऋण आदि भी सम्मिलित है,

Kaushal Shichhak & Dharmarth Trust Varanasi

Scanned with OKEN Scanner

जिसके द्वारा ट्रस्ट के कोष संपदा एवं साधनों को और बढ़ायें ताकि ट्रस्ट अपने उद्देश्यों में प्रभावी रूप से सफल हो सके और न्यासकर्ता/संस्थापक ने अपनी इच्छा के अनुकूल 10,000/– **(दस हजार रूपये)** की नगद राशि ट्रस्ट को प्रदान की है।

और वर्तमान में इस ट्रस्ट का पंजीकृत कार्यालय **ग्राम रसूलगढ़, परगना शिवपुर, तहसील व जिला वाराणसी** रहेगा। अधिक सुविधा जनक स्थान मिलने पर इस कार्यालय का समायानुसार समय–समय पर उचित स्थान पर स्थानान्तरित किया जा सकेगा।

क्योंकि न्यासकर्ता/ट्रस्टी/अध्यक्ष द्वारा ट्रस्ट के उद्देश्यों के पूर्ति हेतु नियमावली निम्न प्रकार धारा घोषित किया जाता है।

कौशल शिक्षक एवं धर्मार्थ ट्रस्टः- (इण्डियन ट्रस्ट ऐक्ट 1882 के अन्तर्गत कार्यरत ट्रस्ट)

उद्देश्य एवं नियमावलीः–

(1) ट्रस्ट के उद्देश्योंः– ट्रस्ट निम्न उद्देश्यों के पूर्ति के लिये कार्य करेगा।

1. बिना लिंग भेद किये सबके लिए प्राथमिक पाठशाला, जूनियर हाईस्कूल, इण्टरमीडिएट कालेज, टेक्निकल कालेज (आई0टी0आई0), पालिटेक्निक कालेज, इन्जिनिरिंग कालेज, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय, पुस्तकालयों, वाचनालयों, प्रयोगशालाओं, चिकित्सालयों, अनाथालयों, वृद्धा आश्रमों, अनुसंधान केन्द्रों छात्रवासों, कानूनी, औद्योगिक, इन्नोवेसनल, कम्प्यूटर केन्द्रों, निराश्रितों केन्द्रों, सर्वेक्षण केन्द्र, समुदायिक विकास केन्द्रों, पर्यावरण, आर्किटेक्चर, एड्स/कैंसर संस्थान केन्द्रों की स्थापना, नामकरण, विकास, सम्बद्ध प्रबन्ध संचालन आदि कर सकना तथा आवश्यकता होने पर विभिन्न परिषदों विभागों प्रतिष्ठानों संस्थाओं शासन आदि से उन्हें मान्य सम्बद्ध आबद्ध, पंजीकृत अनुमोदित, स्वीकृत करा सकना।
2. ग्राम विकास अभिकरण गतिविधियों का संचालन करना।
3. खादी ग्राम्य उद्योग बोर्ड/खादी ग्रामोद्योग आयोग की योजनाओं का संचालन करना।

Kaushal Shichhak & Dharmarth Trust
Varanasi

कोशलपति त्रिपाठी

4. कृषि कार्य हेतु बंजर भूमि का सुधार एवं कटाव रोक कर जल सरक्षा एवं नमी संरक्षण करना।
5. उद्यानी करण एवं जंगलात का विकास करना।
6. महिला बाल विकास एवं स्वास्थ्य सहयोग हेतु विधि कार्यक्रम संचालित करना।
7. प्रतियोगितात्मक परीक्षाओं की तैयारी हेतु संस्थाओं की स्थापना करना।
8. कृषि संगीत संबंधित आदि विषयों की शिक्षा तथा उसके विकास हेतु संस्थान की स्थापना करना।
9. केन्द्र सरकार के सभी विभागों मानव संसाधन, समाज कल्याण, नवार्ड, कपार्ट, सामाजिक न्याय एवं आधिकारिता मंत्रालय, समाज कल्याण सलाहकार बोर्ड, महिला कल्याण, नेहरू युवा केन्द्र, खेलकूद युवा कल्याण मंत्रालय, ग्राम विकास मंत्रालय, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय आदि सभी विभागों के कार्यक्रम का संचालन करना।
10. आई0आई0टी0, आई0टी0आई0 डिप्लोमा, फार्मेसी, नर्स ट्रेनिंग, टेक्निशियन, लैब टेक्निशियन, फिजीयो थीरैपी, प्रबन्ध संस्थानों आदि मेडिकल कालेजों एवं इजीनियरिंग कालेजों की स्थापना एवं संचालन करना।
11. समाज के लोगों के लिए हास्पिटल, नर्सींग होम, स्वास्थ्य केन्द्र, मेडिकल स्टोर, जनरल स्टोर, किराना की दुकान, फोटो स्टेट, टाईपिंग कम्पनी, फर्म इत्यादि की व्यवस्था करना।
12. पुस्तकालय, वाचनालय, पत्र–पत्रिकाओं, समाचार–पत्रों इत्यादि का प्रकाशन मुद्रण, बिक्री एवं मूल्य का निर्धारण करना।
13. अंधे, गुंगे, बहरे, असहाय लोगों के लिए शिक्षा, चिकित्सा, आवास, भोजन इत्यादि के व्यवस्था करना।
14. विभिन्न विषयों एवं पाठ्यक्रमों यथा व्यवहारिक प्रायोगिककला, वाणिज्यक वैज्ञानिक, क्रीडा मार्शल आर्ट संगीत, तकनीकी, सामाजिक, आधुनिक, भाषा अंग्रेजी, उर्दू, कम्प्यूटर, प्रोफेशनल आदि विषयों का विभिन्न स्तरीय शिक्षा प्रदान करने का प्रबन्ध करना।

Kaushal Shichhak & Dharmarth Trust
Varanasi

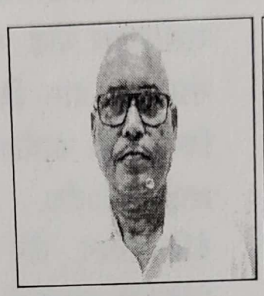
Scanned with OKEN Scanner

आवेदन सं०: 202400996014767

न्यास पत्र

बही स०: 4 रजिस्ट्रेशन स०: 76 वर्ष: 2024

प्रतिफल- 10000 स्टाम्प शुल्क- 800 बाजारी मूल्य - 0 पंजीकरण शुल्क - 100 प्रतिलिपिकरण शुल्क - 100 योग : 200





श्री कौशलपति त्रिपाठी ,
पुत्र श्री मेवालाल तिवारी
व्यवसाय : सेवानिवृत
निवासी: ग्राम धारूपुर, पोस्ट सैयदराजा, जिला चन्दौली

ने यह लेखपत्र इस कार्यालय में दिनाँक 10/04/2024 एवं 02:57:08 PM बजे निबंधन हेतु पेश किया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

अजय धर्मराज सिंह
उप निबंधक :सदर द्वितीय
वाराणसी
10/04/2024

इरफान अहमद
निबंधक लिपिक
10/04/2024

प्रिंट करें



Scanned with OKEN Scanner

15. विभिन्न प्रतियोगिताओं एवं प्रतिस्पर्धा परीक्षाओं में छात्र–छात्राओं को सफल बनाकर स्वावलम्बी बनाने हेतु उनके अध्ययन, अध्यापन, आवास आदि सुविधाओं की व्यवस्था करना।
16. पुस्तकों साहित्य पत्रों, पाठ्यक्रमों आदि का सृजन सम्पादन, प्रकाशन, मुद्रण, वितरण आदि कर सकता।
17. सांस्कृतिक कार्यक्रम, पर्यावरण कार्यक्रम, एड्स कार्यक्रम, अधिवेसन, गोष्ठियों, सम्मेलन प्रतियोगिताएं, बैठकें, विशेष कक्षाएं सत्र प्रोत्साहन कार्यक्रम आदि आयोजित कर सकना।
18. हस्तशिल्प, सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, स्क्रिन प्रिटिंग आदि की शिक्षा एवं व्यवस्था करना।
19. व्यक्ति विशेष अन्य सोसाइटी ट्रस्ट द्वारा संचालित विद्यालयों, महाविद्यालयों, मेडिकल कालेज, इंजीनियरिंग कालेजों को अपने ट्रस्ट द्वारा संचालित करना एवं उनको इस ट्रस्ट में समायोजित कर सकना।
20. ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु विभिन्न राष्ट्रीय, अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों संस्थाओं व्यक्तियों से सहयोग प्राप्त कर सकना अथवा प्रदान कर सकना।
21. विधि सम्मति उपयोगी जानकारी का प्रचार एवं प्रसार कर सकना।
22. आयुर्वेदिक औषधियों का उत्पादन करना एवं उसका प्रचार कर सकना।
23. कृषि को बढ़ावा देने हेतु कृषकों को उन्नतिशील बीज एवं वर्मी कम्पोस्ट उवर्रक तैयार कर उपयोगी कार्य कर सकना व उसका प्रचार–प्रसार कर सकना।
24. पर्यावरण को सुधारने हेतु प्रयास कर सकना एवं पर्यावरण सुधार हेतु जानकारी दे सकना एवं सेमिनार कर सकना।
25. एड्स के बारे में जनजागरण करने हेतु प्रचार–प्रसार कर सकना।
26. पुस्तक, पुस्तिकाएं, पत्र, पत्रिकाए, समाचार–पत्र आदि को प्रकाशित, सम्पादित वितरित, विक्रय कर सकना।
27. ट्रस्ट द्वारा दी जा रही सेवाओं/वस्तुओं के लिए समुचित शुल्क/मूल्य/निर्धारित करना तथा प्राप्त करना।

Kaushal Shichhak & Dharmarth Trust
Varanasi

Scanned with OKEN Scanner

Scanned with OKEN Scanner

आवेदन सं०: 202400996014767

बही स०: 4 रजिस्ट्रेशन स०: 76 वर्ष: 2024

निष्पादन लेखपत्र वाद सुनने व समझने मजमुन व प्राप्त धनराशि रु प्रलेखानुसार उक्त न्यासी: 1

श्री कौशलपति त्रिपाठी, पुत्र श्री मेवालाल तिवारी

निवासी: ग्राम धारूपुर, पोस्ट सैयदराजा, जिला चन्दौली

व्यवसाय: सेवानिवृत




ने निष्पादन स्वीकार किया । जिनकी पहचान पहचानकर्ता : 1

श्री शिवअधार यादव, पुत्र श्री छेदी लाल यादव

निवासी: मकान नं0 सा. 16/46, टडिया चकबीही, पोस्ट नक्खीघाट, सारनाथ, वाराणसी

व्यवसाय: शिक्षक

पहचानकर्ता : 2




श्री उमेश कुमार मौर्या, पुत्र श्री स्व0 प्रेमनाथ मौर्य

निवासी: सा.16/64, टड़िया, चकबीही, वाराणसी।

व्यवसाय: अन्य




ने वाद प्रत्यक्षत: भा[illegible] निशान अंगूठे निशानानुसार लिए गए है ।

टिप्पणी :

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

अजय धर्मराज सिंह
उप निबंधक : सदर द्वितीय वाराणसी
10/04/2024

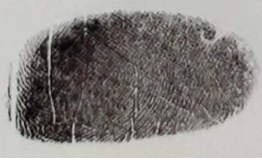
इरफान अहमद
निबंधक लिपिक वाराणसी
10/04/2024

प्रिंट करें

28. पत्राचार द्वारा अध्यापन, अध्ययन को प्रोत्साहित कर सकना तथा तत्सविधित आवश्यक व्यवस्थाएं कर सकना।
29. उपभोक्ता अधिकार, पर्यावरण सुधार उसर सुधार जैसे समाजिक दायित्व के विषयों पर जन चेतना जागृत करने हेतु कार्य कर सकना।
30. धार्मिक स्थलों का निर्माण व जीर्णोधार कर सकना।
31. जनकल्याण आयोजनों एवं कारणों हेतु छात्रवृत्ति पुरस्कार सहायता एवं वित्तीय सहायता, स्मृति चिन्ह आदि प्रदान कर सकना।
32. विभिन्न आयोजनों एवं कारणों हेतु छात्रवृत्ति पुरस्कार सहायता एवं वित्तीय सहायता, स्मृति चिन्ह आदि प्रदान कर सकना।
33. विभिन्नसंस्थाओं/विद्यालयों/महाविद्यालयों/मेडिकल कालेज/इंजीनियरिंग कालेजों प्रतिष्ठानों के विशेषाधिकार प्राप्त कर सकना तथा अपने विशेषाधिकार अन्य को प्रदान कर सकना।
34. ट्रस्ट के कोष एवं संपदा में वृद्धि करना, विनियोजन करना तथा उसका ट्रस्ट के उद्देश्यों में प्रयोग करना।
35. ट्रस्ट जन सामान्य के अन्य कार्य भी करेगा। ट्रस्ट यथा सम्भव सेवाएं/वस्तुएं लागत मूल्य पर ही देने का प्रयास करेगा। ट्रस्ट द्वारा जनहित में सड़क खण्डजा, तालाबों, शौचालयों आदि का निर्माण मछली पालन, पशुपालन आदि का प्रचार कर सकना।
36. ट्रस्ट केवल वित्तीय लाभ के लिए ही कार्य नहीं करेगा जन कल्याण की भावना एवं ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए कार्य करेगा।
37. ट्रस्ट अपने समस्त आय एवं लाभ कालान्तर में ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति करने हेतु व्यय करेगा।
38. किसानों की उत्थान एवं विकास हेतु पाली क्लिनिक का निर्माण करना।
39. किसानों के उत्थान एवं विकास हेतु नवीन बीजों की जानकारी देना। फल एवं औषधि खेती के विषय में जानकारी देना एवं उत्पादन किये गये माल का आयात व निर्यात करना।
40. देश व प्रदेश के समुचित विकास के लिए विभिन्न स्तर पर प्रयास करना।
41. जनहित के लिए आपदा राहत कार्यों हेतु देश–विदेश से दान–अनुदान लेना।

Kaushal Shichhak & Dharmarth Trust
Varanasi

कौशलपति त्रिपाठी



(2). ट्रस्टीयो के नाम –

क्रम सं0	ट्रस्टीयों का नाम व पिता का नाम एवं पता	पदभार
1.	**कौशल पति त्रिपाठी पुत्र मेवालाल तिवारी** स्थायी निवासी ग्राम धारूपुर, पोस्ट सैयदराजा, जिला चन्दौली	मुख्य प्रबन्ध / सचिव / ट्रस्टी
2.	**श्री विनय कुमार त्रिपाठी पुत्र कौशलपति त्रिपाठी** स्थायी निवासी ग्राम धारूपुर, पोस्ट सैयदराजा, जिला चन्दौली	सहायक ट्रस्टी
3.	**बृजेश कुमार त्रिपाठी पुत्र कौशलपति त्रिपाठी** स्थायी निवासी ग्राम धारूपुर, पोस्ट सैयदराजा, जिला चन्दौली	सहायक ट्रस्टी
4.	**राकेश कुमार तिवारी पुत्र कौशलपति त्रिपाठी** स्थायी निवासी ग्राम धारूपुर, पोस्ट सैयदराजा, जिला चन्दौली	सहायक ट्रस्टी
5.	**अंकेश कुमार त्रिपाठी पुत्र शशिकान्त तिवारी** स्थायी निवासी ग्राम धारूपुर, पोस्ट सैयदराजा, जिला चन्दौली	सहायक ट्रस्टी
6.	**नितेश तिवारी पुत्र शशिकान्त तिवारी** स्थायी निवासी ग्राम धारूपुर, पोस्ट सैयदराजा, जिला चन्दौली	सहायक ट्रस्टी

(3) प्रारम्भिक उपबन्धः–

1. वर्तमान में ट्रस्ट डीड के पंजीकृत के दिनांक से **कौशल पति त्रिपाठी पुत्र मेवालाल तिवारी** को इस ट्रस्ट का मैनेजिंग ट्रस्टी अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है।
2. यदि कोई अन्य व्यवस्था वर्तमान में मैनेजिंग ट्रस्टी अध्यक्ष **कौशल पति त्रिपाठी पुत्र मेवालाल तिवारी** द्वारा रजिस्ट्रार के यहां रजिस्ट्री कर

Kaushal Shichhak & Dharmarth Trust Varanasi

कौशलपति त्रिपाठी



सुनिश्चित न की जाय तो वरिष्ठता क्रम में उत्तराधिकारी ट्रस्ट के ट्रस्टी होंगे।

3. वर्तमान मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष अपने जीवन काल में ही जब चाहे अपना उत्तरदायित्व अपने उत्तराधिकारियों को स्थानान्तरित कर सकता है।

(4) अध्यक्ष मैनेजिंग डाइरेक्टर पद का उत्तराधिकारी/हस्तान्तरणः–

1. मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष का कर्तव्य है कि वह अपने जीवन काल में अपने उत्तराधिकारी मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष की व्यवस्था कर दे।
2. मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष अपने जीवन काल में ही मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष का पद किसी को प्रदान कर सकता है।
3. किसी भी व्यक्ति के मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष बनते ही उसे वह सभी अधिकार प्राप्त हो जायेंगे जो कि इस ट्रस्ट डीड के मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष को प्रदत्त किये गये हैं।
4. मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष द्वारा अपने उत्तराधिकारी की घोषणा न कर पाने एवं व्यवस्था करने से पूर्व मृत्यु हो जाने की अवस्था में मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष पद पर आसिन व्यक्ति का व्यक्तिगत उत्तराधिकारी ही ट्रस्ट का भी मैंनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष बनेगा। कोई असुविधा होने पर उत्तराधिकारी अधिनियम की व्यवस्थाओं से मार्ग दर्शन प्राप्त किया जा सकता है।
5. मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष को चाहिए की वह अपने उत्तराधिकारी मैंनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष लिखित रूप से अपने हस्ताक्षर कर के व्यक्त कर दे। मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष यह व्यवस्था रजिस्ट्रार के यहां रजिस्टर्ड करा के अथवा अपनी वसीयत द्वारा भी सुनिश्चित कर सकता है। इस संदर्भ में यह भी स्पष्ट करना है कि कार्यरत मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष द्वारा अपने जीवनकाल में उत्तरार्द्ध में की गयी वसीयत/इच्छा/व्यवस्था ही अन्तिम रूप से मान्य होगी।
6. यह कि भी स्पष्ट किया जाता है कि यदि कार्यरत मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष अपने जीवन काल में अपना कार्यभार अपने उत्तराधिकारी को वास्तविक रूप से हस्तान्तरित कर देता है तो वह अपने निर्णय पर पुनः विचार नहीं कर सकेगा।

Kaushal Shichhak & Dharmarth Trust
Varanasi

Scanned with OKEN Scanner

7. कार्यरत मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष तभी अपने उत्तराधिकारी हस्तान्तरण विषयपर विचार एवं पुनः विचार करने हेतु स्वतंत्र है जब तक कि वास्तविक रूप से कार्य भार अपने उत्तराधिकारी को न प्रदान कर दें।
8. कार्यरत मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष द्वारा अपने उत्तराधिकारी को दिया गया कार्यभार हस्तान्तरण समस्त अधिकारों सहित पूर्ण माना जायेगा।

(5) बोर्ड आफ ट्रस्टीजः–

1. यह कि मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष यदि उचित समझे तो विषयों पर विचार विमर्श करने एवं सलाह प्राप्त करने हेतु बोर्ड आफ ट्रस्टीज का गठन कर सकता है, जिसमें कि अधिकतम **ग्यारह** सदस्य होंगे।
2. यह कि मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष किसी भी व्यक्ति को ट्रस्टी मनोनीत करते समय उसका कार्यकाल स्पष्ट करेगा। ट्रस्टी का कार्य अवधि मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष की इच्छा पर निर्भर करती है तथा मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष किसी भी व्यक्ति का कार्यकाल समाप्त होने के पूर्व ही बिना किसी को कोई कारण बताए ट्रस्टी के पद से हटा सकता है।
3. यह कि मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष जब भी उचित समझे बोर्ड आफ ट्रस्टीज की बैठक आयोजित कर सकता है, जिसकी अध्यक्षता मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष स्वयं करेगा।
4. यह कि बोर्ड आफ ट्रस्टीज उन्हीं विषयों पर विचार करेगा तथा सुझाव देगा, जिनको कि मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
5. यह कि बोर्ड आफ ट्रस्टीज द्वारा दिये किसी भी सुझाव को मानना स्वीकार करना अथवा अस्वीकार करना पूर्णतया मैनेजिंग ट्रस्टीज/अध्यक्ष की इच्छा एवं विवेक पर निर्भर करता है। इस संदर्भ में मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष के द्वारा लिया गया, निर्णय ही मान्य एवं अन्तिम होगा।

(6) अध्यक्ष/मैनेजिंग ट्रस्टी का कार्यालय एवं सुविधाएंः–

1. यह कि अध्यक्ष/ट्रस्टी को ट्रस्ट द्वारा विभिन्न सुविधाओं से युक्त कार्यालय एवं वाहन की सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी। इन सुविधाओं के स्तर को सुनिश्चित करने में मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष का निर्णय ही अन्तिम, रूप से मान्य होगा।

Kaushal Shichhak & Dharmarth Trust
Varanasi

Scanned with OKEN Scanner

2. यह कि ट्रस्टी/अध्यक्ष अपना उत्तरदायित्व वहन करने हेतु ट्रस्ट से मासिक मानदेय/भत्ते आदि पर यदि कोई आयकर लगता है तो ट्रस्टी/अध्यक्ष स्वयं अपनी प्राप्त आय से ही आयकर का भुगतान करेगा। ट्रस्ट इसके लिए उत्तरदायी नहीं होगा।

(7) कार्यक्षेत्रः–

ट्रस्ट का कार्य क्षेत्र सम्पूर्ण विश्व होगा सामाजिक उत्थान हेतु विश्व के किसी राष्ट्र व व्यक्ति विशेष सहायता एवं राय प्राप्त कर सकता है अथवा सहायता व राय दे सकता है।

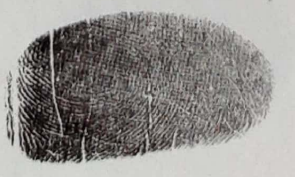
(8) मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष का विशेषाधिकारः–

मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष को यह विशेषाधिकार प्राप्त होगा कि वह ट्रस्ट के अन्तर्गत कार्यरत किसी भी अधिकारी/कर्मचारी द्वारा लिये गये निर्णय में हस्तक्षेप कर निरस्त/स्वीकृत/अस्वीकृत संशोधित कर दें। मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष, ट्रस्ट के कार्यकलापों में किसी भी स्तर पर कोई भी दिशा निर्देश दे सकता है जो सभी सम्बन्धित पक्षों को अन्तिम रूप से मान्य एवं स्वीकार होगा।

(9) सचिव/उपसचिवों की नियुक्तिः–

1. यह कि मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष ट्रस्ट के दिन प्रतिदिन के कार्यों को करने एवं देखभाल करने के लिए ट्रस्ट के लिए एक सचिव एवं आवश्यकता पड़ने पर एक अथवा अधिक उपसचिवों को नियुक्ति कर सकेगा।
2. यह कि सचिव/उपसचिवों के वेतन भत्ते सुविधाएं, कार्य नियम, मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष द्वारा निश्चित किये जायेंगे।
3. यह कि उक्त सचिव/उपसचिव मैनेजिंग ट्रस्टी के अनुग्रह तक प्रसाद पर्यन्त कार्य करेंगे। मैनेजिंग ट्रस्टी अध्यक्ष किसी भी समय बिना कोई कारण बताए उक्त पदों पर कार्यरत व्यक्तियों के विरूद्ध प्रशासिक विधिक/अनुशासनात्मक/प्रशासनात्मक कार्यवाही कर सकता है अथवा उक्त पक्षों के अधिकार एवं कर्तव्य किसी अन्य व्यक्ति को हस्तान्तरित/प्रदान कर सकता है।

Kaushal Shichhak & Dharmarth Trust
Varanasi



Scanned with OKEN Scanner

(10) उपाध्यक्ष की नियुक्तिः–

1. मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष, ट्रस्ट के दिन प्रतिदिन के कार्यों को करने व देखभाल करने के लिए एक उपाध्यक्ष की नियुक्ति एवं आवश्यकता पड़ने पर अधिकतम दो उपाध्यक्षों की नियुक्ति कर सकेगा।
2. यह कि उपाध्यक्ष/उपाध्यक्षों के वेतन भत्ते, सुविधाएं कार्य मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष द्वारा निश्चित किये जायेंगे।
3. यह कि उपाध्यक्ष/उपाध्यक्षों, मैनेजिंग ट्रस्टी के अनुग्रह तक प्रसाद प्रर्यन्त कार्य करेंगे। मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष किसी भी समय बिना किसी कोई कारण बताये उक्त पदों पर कार्यरत व्यक्तियों के विरूद्ध प्रशासनिक अनुशासनात्मक प्रशासनात्मक कार्यवाही कर सकता है अथवा उक्त कार्यरत व्यक्ति को उनके पदों से हटा सकता है तथा इन पदों पर नियुक्तियां कर सकता है अथवा उक्त पदों के कर्तव्य एवं अधिकार किसी अन्य व्यक्ति को हस्तान्तरित प्रदान कर सकता है।

(11) अध्यक्ष के अधिकार एवं कर्तव्यः–

यह कि इस ट्रस्ट डीड के अन्तर्गत अध्यक्ष/ट्रस्टी को प्राप्त विभिन्न अधिकार एवं कर्तव्यों के अतिरिक्त अध्यक्ष/ट्रस्टी के निम्न अधिकार व कर्तव्य भी होंगेः–

(क) बोर्ड आफ ट्रस्टीज की बैठक बुलाना एवं उसकी अध्यक्षता करना।

(ख) ट्रस्ट के समस्त कार्यों का उत्तरदायी ढ़ंग से देखरेख करने के उपाध्यक्ष, सचिव, उपसचिवों की नियुक्ति करना।

(ग) इस ट्रस्ट डीड में उल्लिखित ट्रस्ट के उद्देश्य एवं नियमावली में संशोधन/परिवर्तन कर सकना जो कि रजिस्ट्रार के यहां रजिस्ट्रीकृत होने की दिनांक से मान्य होगा।

(12) उपाध्यक्ष के अधिकार एवं कर्तव्यः–

अध्यक्ष/ट्रस्टी की अनुपस्थित में अध्यक्ष की लिखित अनुमति से अध्यक्ष द्वारा बताये गये विषय पर विचार–विमर्श हेतु बोर्ड आफ ट्रस्टीज की बैठक बुलाना एवं अध्यक्षता करना परन्तु उपाध्यक्ष बिना अध्यक्ष की अनुमति के कोई निर्णय नहीं ले सकता।

Kaushal Shichhak & Dharmarth Trust Varanasi

Scanned with OKEN Scanner

(13) सचिव के अधिकार एवं कर्तव्यः–

ट्रस्टी डायरेक्टर के आदेश पर ट्रस्ट के समस्त कार्यों के लिए ट्रस्ट का सचिव अन्तिम रूप से कार्यरत एवं उत्तरदायी है। ट्रस्ट के सचिव के निम्न कर्तव्य एवं अधिकार हैंः–

1. ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति करने हेतु सभी उपाय एवं कार्यवाही करना।
2. ट्रस्ट के अन्तर्गत होने वाले सभी कार्यकलापों एवं दिन प्रतिदिन की गतिविधियों पर नियंत्रण रखना।
3. ट्रस्ट के अन्तर्गत संचालित कार्यों हेतु पदाधिकारियों की नियुक्ति पदमुक्त तथा उनके विरूद्ध अनुशासनात्मक प्रशासनिक कार्यवाही कर सकना।
4. विभिन्न कार्यकलापों उद्देश्यों को पूर्ण करने हेतु कोष्टो/विभागों केन्द्रों/संस्थाओं/उपसंस्थाओं का गठन कर सकना तथा उनके संयोजकों/निदेशकों पदाधिकारियों आदि की संचालन हेतु आवश्यकतानुसार नियम/उपनियम बना सकना।
5. ट्रस्ट संस्था को प्राप्त किसी शिकायत की जांच निर्णायक नियुक्त कर सकना।
6. एक से अधिक विशेष कार्यधिकारी नियुक्ति होने की स्थिति में उनका कार्य विभाजन कर सकना।
7. प्रचार/प्रसार/मुद्रण/प्रकाशन/वितरण/विक्रय की सर्वोत्तम व्यवस्था करना।
8. जन सामान्य के कल्याणार्थ विभिन्न आयोजन कर सकना।

(14) उपसचिव के अधिकार एवं कर्तव्यः–

1. सचिव की अनुपस्थिति में उनके पद के अधिकार एवं कर्तव्य का पालन करना।
2. सचिव द्वारा लिखित रूप से प्राधिकृत करने पर उन अधिकारों/कर्तव्यों का पालन करना जो उसे लिखित रूप से प्राप्त है।
3. सचिव द्वारा लिखित रूप से कार्यभार/कर्तव्यों का पालन करना।

(15) बैंक एकाउण्टः–

1. ट्रस्ट का खाता किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक में खोला जा सकेगा मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष स्वयं अथवा उसके द्वारा इस हेतु अधिकृत व्यक्ति मैनेजिंग

Kaushal Shichhak & Dharmarth Trust Varanasi

Scanned with OKEN Scanner

ट्रस्टी/अध्यक्ष द्वारा दिये गये निर्देशों के अन्तर्गत खाता खोल सकता है अथवा संचालित कर सकता है।

2. ट्रस्ट के अन्तर्गत संचालित अथवा कार्यरत किसी भी विद्यालय/महाविद्यालय/संस्थान केन्द्र/कार्यक्रम इकाई कार्यालय का पृथकनाम से बैंक खाता खोला एवं संचालित किया जा सकता है इस स्थिति में स्वयं ट्रस्ट के अध्यक्ष द्वारा अधिकृत व्यक्ति द्वारा दिये गये निर्देशों के अन्तर्गत बैंक खाता खोला जा सकता है अथवा संचालित किया जा सकता है।

(16) विधिक कार्यवाहीः–

यदि संस्था/ट्रस्ट की तरफ से कोई विधिक कार्यवाही की जाती है या उसके विरूद्ध कोई विधिक कार्यवाही होती है तो सचिव अध्यक्ष की अनुमति से अधिवक्ता की नियुक्ति एवं विभिन्न न्यायालयों में पैरवी स्वयं या अन्य कोई अधिकृत कर सकता है।

(17) सम्पत्ति सम्बन्धीः–

1. ट्रस्ट चल/अचल सम्पत्ति के सम्बन्ध में वह सभी अधिकृत अधिकार रखता है जो कि एक नागरिक/व्यक्ति को प्राप्त होते हैं जैसे खरीदना व बेचना।
2. ट्रस्ट की ओर से चल/अचल सम्पत्ति के सम्बन्ध में ट्रस्ट की ओर से कोई निर्णय लेने/लेख विलेख बनाने हेतु अध्यक्ष किसी व्यक्ति को अधिकृत कर सकता है।
3. ट्रस्ट का अध्यक्ष ट्रस्ट की ओर से चल/अचल सम्पत्ति के सम्बन्ध में कोई भी लेख–विलेख बनाने एवं निर्णय करने हेतु पूर्णतया समर्थ एवं अधिकृत है।
4. ट्रस्ट चल/अचल सम्पत्ति क्रय–विक्रय कर सकता है रेहन रख सकता है किराये पर दे सकता है ले सकता है अथवा दे सकता है।
5. ट्रस्ट किसी से ऋण, दान, उपहार, आग्रह, भेट सम्मान पुरस्कार, स्मृति चिन्ह मानदेय आदि प्राप्त कर सकता है और दे सकता है।

Kaushal Shichhak & Dharmarth Trust
Varanasi

Scanned with OKEN Scanner

6. ट्रस्ट धन को किसी भी विनियोजित कर सकता है सुरक्षित कर सकता है किसी बैंक संस्था कम्पनी आदि की किसी योजना में धन/सम्पत्ति का विनियोजन कर सकता है।

7. यह कि उक्त पूंजी के अलावा अन्य कोई चल व अचल सम्पत्ति ट्रस्ट के पास नहीं है न ही इस ट्रस्ट द्वारा किसी भी अचल सम्पत्ति का अन्तरण नहीं किया जा रहा है।

8. चल/अचल सम्पत्ति का प्रत्यिभूति भाड़ा क्रय अनुज्ञप्ति बन्धक भारित गिरवी, विभाजित आदि कर सकता है/ले सकता है दे सकता है।

(18) प्रतिबन्ध

क– विद्यालय की पंजीकृत सोसाइटी का समय–समय पर नवीनीकरण कराया जायेगा।

ख– विद्यालय के प्रबन्ध समिति में शिक्षा निदेषक द्वारा नामित एक सदस्य होगा।

ग– विद्यालय में कम से कम दस प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के मेधावी बच्चों के लिए सुरक्षित रहेंगे और उनमें उत्तर प्रदेश, माध्यमिक शिक्षा परिषद/बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा।

घ– संस्था द्वारा राज्य सरकार से कोई अनुदान की मांग नहीं की जायेगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय का सम्बद्धता सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ सेकेन्डरी एजुकेशन, नई दिल्ली/कौसिंग फार दी इण्डियन स्कूल सर्टिफिकेट इक्जामिनेशन प्राप्त होने की तिथि से परिषद से मान्यता और राज्य सरकार से अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेगा।

ड.– संस्था के शिक्षक तथा शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को राजकीय सहायकता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों को अनुमन्य वेतनमानों तथा अन्य भत्ते नहीं दिये जायेंगे।

च– कर्मचारियों की सेवा शर्तें बनाई जायेगी और उन्हें सहायता प्राप्त अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों को अनुमन्य सेवा निवृत्ति लाभ उपलब्ध कराये जायेंगे।

Kaushal Shichhak & Dharmarth Trust
Varanasi

कोषाध्यक्ष/मन्त्री

Scanned with OKEN Scanner

छ– राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेंगे संस्था उनका पालन करेगी।

ज– विद्यालय का रिकार्ड निर्धारित प्रपत्र/पंजिकाओं में रखा जायेगा।

झ– उक्त प्रतिबन्ध क्रम 'क' से 'ज' तक बिना शासन के अनुमति से परिवर्तन/परिवर्धन/संशोधन नहीं किया जायेगा।

(17) विशेषः–

(क) इस ट्रस्ट के अन्तर्गत संचालित/कार्यरत किसी भी विद्यालय/महाविद्यालय/ कार्यक्रम/ईकाई/कार्यालय/संस्था उपक्रम के कार्य संचालन हेतु पृथक से नियम/उपनियम बनाये जा सकते हैं परन्तु यदि वह इस डीड आफ ट्रस्ट **कौशल शिक्षक एवं धर्मार्थ ट्रस्ट** के उद्देश्य एवं नियमावली के किसी भी प्राविधान का अतिक्रमण करते हैं तो वह नियम/उपनियम, अतिक्रमण की सीमा तक शून्य होंगे।

(ख) अध्यक्ष/ट्रस्टी यदि उचित समझे तो किसी/किन्हीं परिस्थितियों में इस ट्रस्ट डीड के किसी/किन्हीं प्राविधान/प्राविधानों को शिथिल कर सकते है तथा प्राविधान/प्रविधानों के होते हुए भी अन्यथा निर्णय ले सकते हैं। इस सम्बन्ध में अध्यक्ष का विवेक व्यवस्था ही अन्तिम होगी इस धारा के अन्तर्गत अध्यक्ष द्वारा की गयी किसी कार्यवाही को कहीं भी किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकेगी। **कौशल शिक्षक एवं धर्मार्थ ट्रस्ट** की उक्त न्यास विलेख एवं उसमें सन्निहित **कौशल शिक्षक एवं धर्मार्थ ट्रस्ट** के उद्देश्य एवं नियमावली एतद्द्वारा अधिनियमित अनुमोदित घोषित स्वीकृत आत्मार्पित एवं तत्काल से कार्यान्वित की जाती है कि उक्त न्यास विलेख को पढ़ व पढ़वाकर सुन व समझ कर व्यवहार में लाने हेतु निम्न साक्षियों की उपस्थिति में हस्ताक्षर कर दिये गये।

नोट–नियमानुसार मु0 800/–रूपये का स्टाम्प शुल्क जरिये ई–स्टाम्प प्रमाण पत्र सं0 IN-UP21051348112638W दिनांक 10.04.2024 अदा किया जा रहा है।

Kaushal Shichhak & Dharmarth Trust
Varanasi

कौशलेन्द्र दुबे

Scanned with OKEN Scanner

आवेदन सं०: 202400996014767

बही संख्या 4 जिल्द संख्या 342 के पृष्ठ 237 से 268 तक क्रमांक 76 पर दिनाँक 10/04/2024 को रजिस्ट्रीकृत किया गया।



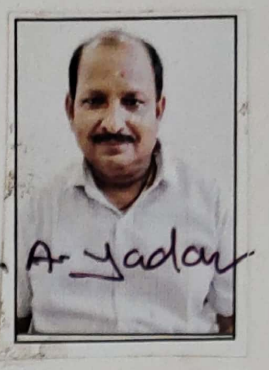
रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

अजय धर्मराज सिंह
उप निबंधक : सदर द्वितीय
वाराणसी
10/04/2024

Scanned with OKEN Scanner

गवाहान–

1. पूरा नाम– **शिवअधार यादव**
पिता का नाम– श्री छेदी लाल यादव
पूरा पता– मकान नं0 सा. 16/46, टडिया चकबीही,
पोस्ट नक्खीघाट, सारनाथ, वाराणसी
मो0नं0–7905075396
पेशा–शिक्षक
हस्ताक्षर– S. A. Yadav


S. A. Yadav

2. पूरा नाम– **उमेश कुमार मौर्या**
पिता का नाम– स्व0 प्रेमनाथ मौर्य
पूरा पता– सा.16/64, टड़िया, चकबीही, वाराणसी।
मो0नं0– 9305315609
पेशा–अन्य
हस्ताक्षर– उमेश कुमार मौर्या


उमेश कुमार मौर्या

तहरीर दिनांक– 10.04.2024

मसविदाकर्ताः–
ध्यानशंकर चौबे, एडवोकेट
कलेक्ट्रेट कचहरी, वाराणसी।

टाइपकर्ता :–
अरूण कम्प्यूटर्स
जिला पंचायत भवन
कलेक्ट्रेट कोर्ट वाराणसी।

Kaushal Shichhak & Dharmarth Trust
Varanasi

कौशलपति त्रिपाठी

Scanned with OKEN Scanner